

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :- देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 37/2017

उनवान

1. दाखू पत्नि स्व० कालू
2. सांवरा,
3. मूलचन्द,
4. बजरंग पि० स्व० कालू
5. प्रेम पत्नी रामा
6. शंकर,
7. प्रहलाद पि० स्व० रामा ना.बा. जरिये माता प्रेम जाति रावत निवासी देराटू नसीराबाद
— वादीगण :- जरिये अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. मीरा पत्नि लादू
2. बन्ना पुत्र लादू
3. अमरसिंह
4. बीरम,
5. लक्ष्मण,
6. नानक पि० मादू
7. छोटू पि० हीरा जाति रावत निवासी देराटू
8. उपपंजीयक अधिकारी नसीराबाद
9. सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद
10. काना पुत्र गोपाल
11. गोरी पुत्र गोपाल
12. पूजा पुत्री जोधा
13. पारसी पुत्री गोपाल
14. भैरू पुत्र जोधा
15. भूरी पुत्री मादू (तर्क)
16. मेवा पुत्र मादू जाति रावत निवासी देराटू, नसीराबाद
17. मैनेजर स्टेट बैंक आफें इण्डिया, शाखा नसीराबाद

— प्रतिवादीगण :- 1 से 7 व 10 से 17 अनुपस्थित
8 व 9 जरिये तहसीलदार नसीराबाद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 रा० का० अधि० 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956


-: निर्णय :-

दिनांक :- 7.10.24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देराटू की वादग्रस्त आराजी वादीगण के पति/पिता की कयशुदा है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-



—2


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

चौसाला ख.न.	वर्किंग नम्बर	खसरा	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
1529	1535		5-10-0	3718	0.92
	1542		0-2-0		

उपरोक्त आराजी के चौसाला खसरा नम्बर 1529 रकबा 5-12-0 के वर्किंग खसरा नम्बर 1535 रकबा 5-10-0, 1542 रकबा 0-2-0 के हाल खसरा नम्बर 3718 रकबा 0.92 की आराजी के तत्कालीन खातेदार लादू, मादू, छोटू पि. हीरा के द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 13.08.1981 को कालू व रामा पि. राजू को बैचान कर दी थी। उक्त आराजी तत्कालीन खातेदार द्वारा पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर क्रेतागण को बैचान की व कब्जा तथा दखल विक्रय दिनांक को सौप दिया था। क्रेतागण की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस वादीगण ही है। विक्रेतागण के वारिस प्रतिवादीगण है। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा नियमानुसार वादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गयी। जिस कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर वादीगण के कब्जे काशत में दखलदांजी कर रहे हैं तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वाद विचारण के दौरान वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर प्रतिवादी संख्या 10 से 17 को प्रकरण में पक्षकार मुर्तिब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 व 10 से 17 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि चौसाला खसरा नम्बर 1529 की नकल वादीगण द्वारा पेश नहीं की गयी है। इन्डेक्स फटा होने के कारण खसरा नम्बर ढूँढना संभव नहीं है। आराजी मुतनाजा वर्किंग खसरा नम्बर लादू, मादू, छोटू पि. हीरा के नाम खातेदारी दर्ज है। हाल जमाबंदी में आराजी मुतनाजा मीरा पत्नी लादू, बन्ना पुत्र लादू, मादू, छोटू पि. हीरा के नाम दर्ज है। विक्रय पत्र दिनांक 13.08.1981 का है। वाद का निस्तारण वादी के पक्ष में किया जाता है तो राजहित प्रभावित नहीं होता है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :-

1. आया आराजी मुतनाजा वादीगण के पूर्वज द्वारा विधिवत क्रय की गयी है ?

—वादीगण

2. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादीगण खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है ?

—वादीगण

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र पेश किये तथा साक्ष्य नहीं पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :-

तनकी संख्या 1 :-

चौसाला खसरा नम्बर 1529 रकबा 5-12-0 के वर्किंग खसरा नम्बर 1535 रकबा 5-10-0, 1542 रकबा 0-2-0 की आराजी के तत्कालीन खातेदार लादू, मादू, छोटू पि. हीरा के द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 13.08.1981 को कालू व रामा पि. राजू को बैचान कर दी थी। उक्त आराजी तत्कालीन खातेदार द्वारा पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर क्रेतागण को बैचान की व कब्जा तथा दखल विक्रय दिनांक को सौप दिया था।



क्रेतागण की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस वादीगण ही है। विक्रेतागण के वारिस प्रतिवादीगण है। वंकिंग जमाबंदी में आराजी मुतनाजा के वंकिंग खसरा नम्बर विक्रेतागण के नाम ही दर्ज है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र पंजीकृत है जिसकी सत्यता से इंकार नहीं किया जा सकता है। विक्रय के खातेदारी अधिकारों का अवसान हा चुका है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज. पेरोकार ने भी वाद का खण्डन नहीं किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र व राजस्व अभिलेख से आराजी मुतनाजा वादीगण के पति/पिता की विधिक कयशुदा सिद्ध होती है। तनकी बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :-

तनकी संख्या 1 के विवेचन के अनुसार आराजी मुतनाजा वादीगण के पति/पिता की विधिक कयशुदा सिद्ध होती है। वंकिंग खसरा नम्बर 1535 का कुल रकबा 16-7-0 है, जो वंकिंग जमाबंदी में विक्रेतागण लादू, मादू, छोटू पि. हीरा के नाम खातेदारी दर्ज है। वंकिंग खसरा नम्बर 1535 के हाल खसरा नम्बर 3713 से 3718 व 3733 बने है। वादीगण द्वारा हाल खसरा नम्बर 3718 रकबा 0.92 की आराजी का अनुतोष चाहा है। आराजी मुतनाजा के समस्त हाल खसरा नम्बर प्रतिवादीगण की खातेदारी में ही दर्ज है। बंदोबस्त विभाग को आराजी मुतनाजा में से 5-12-0 आराजी वादीगण/क्रेतागण के नाम दर्ज करनी चाहिये थी। वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र से आराजी मुतनाजा का हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्ध होता है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। वाद विचारण के दौरान वादग्रस्त भूमि का कुछ हिस्सा प्रतिवादी संख्या 17 के पक्ष में रहन दर्ज किया गया है किन्तु आराजी मुतनाजा में से 5-12-0 भूमि वादीगण के पति/पिता द्वारा कय जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 17 के पक्ष में किया गया रहन वादीगण के हितो पर अप्रभावी है। वादीगण आराजी मुतनाजा पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। तनकी संख्या 2 बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम देराटू के हाल खसरा नम्बर 3718 रकबा 0.92 की आराजी पर वादीगण का वाद "स्वीकार" किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमद दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।



[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इक्वाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

दाखु बनाम मीरा


दावा बाबत :- 88, 188 राज. का. अधि० 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर - 37/2017

पेश करने की दिनांक - 02.03.2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक मुद्दई सीताम रावत अभिभाषक राज० पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

ग्राम देरातू के हाल खसरा नम्बर 3718 रकबा 0.92 की आराजी पर वादीगण का वाद "स्वीकार" किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमद दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक _____ को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक १७ माह १० सन् 2024 को जारी की गयी।



मुद्दई


स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत
मेहनताना वकील
फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुत्तफरिक

मुदायला

स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुत्तफरिक

मिजान

मिजान


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद